

वित्तीय धोखाधड़ी - रोकथाम: किसी को जानने का सवाल*

आर. गांधी

देवियों और सज्जनों। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि मैं आज सुबह आप सबके बीच हूँ और वित्तीय धोखाधड़ी- जोखिम और रोकथाम से संबंधित सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा हूँ।

प्रस्तावना

2. 'संसार में तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर रहम नहीं करना चाहिए- ढोंग, धोखाधड़ी और अत्याचार'- फ्रेडरिक विलियम राबर्टसन।

'धोखाधड़ी' एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सर्वमान्य स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। कई देशों के कानून धोखाधड़ी को परिभाषित नहीं करते हैं, फिर भी यह उतना ही पुराना है जितना की झूठापन और यह उतना ही परिवर्तनशील है जितना कि मानवीय चतुरता। धोखाधड़ी एक सामान्य शब्द है जिसमें वो सब अर्थ समाहित है जिन्हें कि मानवीय चतुरता आविष्कृत कर सकती है और किसी एक व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग दूसरे व्यक्ति पर झूठे सुझाव देकर अथवा सत्य को छिपाकर कर, अपना हित साधन करने के लिए किया जाता है।

3. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 25 कहती है कि 'किसी व्यक्ति ने कोई कार्य धोखाधड़ी के लिए किया है यदि वह कार्य किसी को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो न कि किसी अन्य उद्देश्य से'। आईपीसी स्पष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं करती है कि धोखाधड़ी क्या है; लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे कि धोखेबाजी, दुराव-छिपाव; जालसाजी, बनावटीपन; गबन; विश्वास तोड़ना और खातों का झूठापन आदि में धोखाधड़ी का घटक शामिल हो जाता है।

4. क्या धोखाधड़ी को समाप्त किया जा सकता है? निश्चित ही हम धोखाधड़ी को खत्म नहीं कर सकते हैं। हम केवल अपने आप में सतर्क रह सकते हैं ताकि धोखाधड़ी को दूर रख सकें और धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के खिलाफ दृष्टांत दिए जाने योग्य कठोर कार्रवाई

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर द्वारा 26 जून 2015 को नई दिल्ली में एसोकेम द्वारा "वित्तीय धोखाधड़ी, जोखिम एवं रोकथाम" विषय से संबंधित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण। सुश्री एन. मोहना द्वारा दी गई सहायता के प्रति आभार।

कर सकते हैं जो कि धोखाधड़ी करने पर आमदा लागों के लिए निवारक उपाय बन सकता है।

5. बैंक और वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक सरल शिकार होते हैं। जब तक बैंक और वित्तीय संस्थान, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में विशाल धनराशि का रख-रखाव करते रहेंगे, वे हमेशा चतुर धोखेबाजों के लक्ष्य बने रहेंगे ताकि वे उनकी कुछ राशियों पर हाथ साफ कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि हमारा सर्वोत्तम प्रयास यह होना चाहिए कि, इसे रोका जाए और यदि वह हो जाए तो इसका शीघ्रतिशीघ्र पता लगाना चाहिए ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम रखा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी और उभरते हुए धोखाधड़ी संबंधी जोखिम पर लगातार नज़र रखी जाए।

धोखाधड़ी के प्रकार

6. बैंक धोखाधड़ी मुख्यतः जमाराशि, अग्रिमों और सेवाओं से संबंधित होती है। इनमें से जमाराशियों से संबंधित धोखाधड़ी संख्या में अधिक होती थीं परंतु उनका आकार बड़ा नहीं होता था, इनमें अब गिरावट का रूख है, इसका श्रेय चेक में सुधार, भुगतान संसाधन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों को कड़ा करने पर जाता है। अग्रिमों से संबंधित धोखाधड़ी अभी भी लगातार बैंकों के लिए चिंता का मुख्य कारण बनी हुई है, विशेष रूप से उनके आकार के कारण और बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता तथा साख पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सायबर धोखाधड़ी, इसकी एक खास किस्म है जिसकी संख्या और गति बढ़ रही है। एक अन्य विशेष प्रकार की धोखाधड़ी भी है जो कि व्यापार और दस्तावेजी ऋण से संबंधित है, विशेष इसलिए है क्योंकि इसके समुद्र-पारीय प्रभाव भी होते हैं।

7. जब हम बैंक से संबंधित धोखाधड़ी की बात करते हैं तो, उन बैंक धोखाधड़ियों की बात नहीं करते हैं जिन्हें किसी तीसरे पक्ष द्वारा अंजाम दिया गया हो क्योंकि इन्हें समुचित रूप से चोरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सायबर धोखाधड़ी समेत इस प्रकार की धोखाधड़ियां चालबाजों या तकनीकी चालबाजों द्वारा की जाती हैं। अपने विचार-विमर्श के लिए हम उन बैंक धोखाधड़ियों को शामिल करेंगे जो कि किसी संबंधित पक्ष द्वारा की जाती हैं जैसे कि जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं, बैंक की सेवाओं के उपयोक्ताओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी अथवा उनके खुद के स्टाफ, बाहरी स्रोत प्रदाता एजेंसियों, उनके वेंडर, उनके एजेंट जैसे कि अनुमान लगाने वाले, मूल्यांकन करने वाले, लेखापरीक्षकों आदि द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी।

वित्तीय धोखाधड़ी का मुख्य कारण

8. वित्तीय धोखाधड़ियां मुख्य रूप से अग्रिमों से संबंधित धोखाधड़िया करार और विश्वास को तोड़ने के कारण होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंधक या गिरवी रखी गई आस्तियों के साथ समझौता किया जाता है या उन्हें विनिवेशित कर दिया जाता है या फिर दस्तावेज जाली होते हैं या फिर प्राप्त निधियों को दूसरे काम में लगा दिया जाता है या उन्हें बेईमानी से इधर-उधर कर दिया जाता है अथवा दस्तावेजी ऋणों जैसे कि साख-पत्रों या गारंटी का गलत उपयोग किया जाता है, आदि।

9. वित्तीय धोखाधड़ियों का मुख्य कारण यह कहा जा सकता है कि एक घटना है। यह घटना कि किसी के विषय में जानकारी प्राप्त करने में असफल रहना- अर्थात्- अपने ग्राहक को पहचानने में असफल रहना या अपने कर्मचारी को पहचानने में असफल रहना अथवा अपने भागीदार/ वेंडर को जानने में असफल रहना है।

धोखाधड़ियों के प्रति बैंकों को प्रत्युत्तर

10. धोखेबाज जिस बात को नहीं समझ पाते हैं वो बैंकों की प्रणालीगत प्रतिक्रिया होती है जो तब प्रारंभ होती है जब उन्हें की गई धोखाधड़ी के परिणामों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर में ऋण देने से बचना, जोखिम उठाने से बचना, दस्तावेजी ऋणों में विश्वास समाप्त होना, अत्यधिक संपार्श्विकीकरण या दस्तावेजों को मांगना, व्यक्तिगत गारंटी की मांग करना, आवश्यकता आधारित ऋण प्रणालियों का समाप्त हो जाना जैसे कि एमपीबीएफ, टंडन और चौरे जैसी समितियों के मानदंडों आदि का सामने आना, इनमें शामिल हैं। ये सब बैंकों द्वारा उच्चतर ब्याज दरों और प्रभारों के जरिए हानियों को पूरा करने के प्रयासों के अतिरिक्त होता है।

तीन केवाई सिद्धांत

11. जब बैंकों को धोखे का सामना करना पड़ता है, तब उनकी वित्तीय स्थिति पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। क्योंकि इस प्रभाव के कारण, यदि इन पर नियंत्रण न लगाया जाए तो इससे प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो सकता है, सामान्य रूप से विनियामक धोखाधड़ी के संबंध में बैंकों पर अतिरिक्त निगाह रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि धोखाधड़ी के बाद विनियमन अधिक कठोर हो जाते हैं। इनका उद्देश्य उपाचारात्मक और निरोधी दोनो ही होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि, यदि किसी बैंक को धोखे से बचना है उसे तीन केवाई सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसे अपने ग्राहक को जानना चाहिए, इसे अपने कर्मचारियों को जानना चाहिए

और इसे अपने भागीदार को जानना चाहिए, अर्थात् अपने ग्राहक को जानिए, अपने कर्मचारी को जानिए और अपने भागीदार को जानिए, ये तीन केवाई हैं।

पहला केवाई- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

12. जब कोई केवाईसी मानदंडों के बारे में विचार करता है तो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर जोर दिया जाता है जिनसे किसी खातेदार के विषय में जानकारी हासिल की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवाईसी के मानदंडों का पालन किया गया है। एक ऐसी स्थिति में जहां कई धोखाधड़ी नकली और बनावटी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर की जाती हैं, वहां इन पर जोर देना बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचायक होगा और यह हकीकीत को नकारने जैसा होगा।

13. संगत दस्तावेजों को प्राप्त करने के अलावा, किसी बैंक को यह भी प्रयास करना होगा कि वो वास्तविक अर्थों में 'अपने ग्राहक को जाने' - उसकी पृष्ठभूमि, उसके द्वारा बताई गई गतिविधियों/ व्यवसाय को पहचाने, उसके परिचालन का क्या विशिष्ट तरीका है या ऑनलाइन के मामले में उसका डिजिटल संव्यवहार कैसा है। एक मजबूत केवाईसी प्रणाली इसी प्रकार की समझ की परिकल्पना करती है। उसके द्वारा किए गए लेनदेनों के पैटर्न पर नजर डालने से बैंक उस ग्राहक के संबंध में एक प्रोफाइल बना सकेगा। जब यह स्थापित हो जाएगा तो इन मानदंडों में होने वाली किसी भी प्रकार की चूक पर खतरे का संकेतक लगाया जा सकेगा और उसकी जांच की जा सकेगी और उसे संबंधित ग्राहक से सुनिश्चित किया जा सकेगा। पैटर्न की पहचान करने के लिए बैंकों को निपुण होना पड़ेगा और आपूर्तिकर्ताओं/खरीदारों के संबंध में विवेकपूर्ण जांच करनी होगी कि वे उसी प्रकार के व्यापार से संबंधित है अथवा खोटे निकाय हैं। समय पर की गई इस प्रकार जांच निश्चित रूप से धोखाधड़ी को प्रारंभिक चरण में ही पहचानने में मदद प्रदान करेगी।

14. बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे डेटा विश्लेषण में निवेश करें और इतना उपयोग धोखाधड़ी पहचानने में उतनी तेजी से उपयोग करें कि वो, जहां तक संभव हो, वह वास्तविक समय के सन्निकट हो सके। डेटा विश्लेषण समाधान विशाल डेटा को छोटे में समाहित कर सकते हैं और हमें एक पैटर्न प्रदान कर सकते हैं जो एक दृश्य के रूप में होगा और आसानी से समझ में आ सकेगा।

15. भविष्य में एक अन्य तीव्र रुझान आएगा जो कि ग्राहक की प्रोफाइलिंग से संबंधित होगा और यह विभिन्न चैनलों या माध्यमों-

ऑनलाइन, आफलाइन, कारपोरेट ऋण, वैयक्तिक ऋण आदि, में विस्तृत होगा। कम से कम उन ग्राहकों के संबंध में जिन्हें उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है, काफी बड़े अग्रिम खातों के संबंध में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न स्रोतों - जैसे कि बैंकों के पास उपलब्ध डेटा, सोशल नेटवर्क पर हुई गतिविधियों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करें, उनमें वो संबंध स्थापित करें जो कि मुख्यतः सामने नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार से हम लेनदेनों का विश्लेषण करने में समर्थ बन सकेंगे और धोखाधड़ी होने की संभावना के बारे में पूर्वानुमान लगा सकेंगे।

16. बैंक स्तर पर, प्रत्येक बैंक को अपने ग्राहकों को उनके जोखिम प्रोफाइल और लेनदेन स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए और संज्ञान में आए विशिष्ट स्वरूपों के लिए समुचित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना चाहिए और प्रणालीगत स्तर पर कंट्रोल को मजबूत बनाना चाहिए।

17. किंतु मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि सावधानी के लिए बैंक कोई सॉफ्टवेयर खरीद करके अथवा धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करके चुपचाप बैठ सकते हैं। आम तौर पर, कारोबार परिदृश्य गतिशील/व्यापक होता है और उसमें आंतरिक/देशी धोखबाज वे लोग हैं जो बैंकों और विनियामकों और पुलिस से एक कदम आगे निकल कर अपनी रणनीतियों को हमेशा बदलते रहते हैं। उसी प्रकार, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के मामले में, एक बैंक को फुटबाल के खेल, जिसमें खिलाड़ी निरंतर चलते रहते हैं और खेल में बदलाव करने के लिए सचेत रहते हैं, में एक रेफरी की तरह रहना है।

दूसरा केवाई - अपने कर्मचारी को जानिए

18. अनेक धोखाधड़ियां अपने कर्मचारियों द्वारा की जाती है अथवा कर्मचारियों के बहकावे में की जाती हैं। आम तौर पर बैंकर अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इस संबंध में चयन प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील होती है, फिर भी कुछ व्यक्ति इस प्रक्रिया से बचकर निकल ही आते हैं अथवा बाद में गलत कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। बैंकों को अपने स्टाफ-सदस्यों पर निरंतर सचेत रहने की जरूरत है। कर्मचारियों को बेहतर रूप से जानने के लिए और निवारण उपायों के रूप में पूर्ववृत्त के लिए उनकी पृष्ठभूमि की जांच, जांच और निगरानी, आवधिक रोटेशन,

सतर्कता मूल्यांकन, आंतरिक लेखा-परीक्षा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा।

तीसरी केवाई - अपने साझीदार को जानिए

19. आधुनिक बैंकिंग के लिए यह जरूरी हो गया है कि बैंक को साझीदारों, एजेंटों, वेंडरों के साथ मिल कर कार्य करना होता है। आउटसोर्सिंग पेरिफरल और अनेक परिचालनगत गतिविधियों में किसी अन्य के कर्मचारी को लगाना और उस पर विश्वास करना होता है। आईटी और डाटा प्रबंधन से लेकर नकदी संचालन जैसी विविध गतिविधियों को सम्पन्न करने का दायित्व अन्य पक्ष को सौंपा जा रहा है। बैंकिंग प्रतिनिधि और बैंकिंग सुविधा प्रदाता भी अन्य पक्ष के लोग हैं जो किसी बैंक से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। यदि धोखाधड़ियों को प्रभावी ढंग से रोकना है तो बैंकों को अपने साझीदारों के बारे में जानना होगा।

विनियामक प्रतिक्रिया

20. रिजर्व बैंक समय-समय पर निवारण और सुधारत्मक उपाय से संबंधित अनुदेश जारी कर रहा है जिन्हें बैंकों को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार के अनुदेशों में एक अनुदेश सूचना साझा करने से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बात है जिससे रिजर्व बैंक जुड़ा रहा था, वह है सूचनाओं को साझा करना, जिस पर पुनः जोर दिया गया है और संभावित धोखाधड़ियों की निगरानी का आंतरिक हिस्सा बना दिया है।

21. बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या (यूसीआईएन) प्रदान करें। ऋण सूचना से संबंधित डाटाबेस, प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और भारत की सुरक्षा के हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई), बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना कोष (सीआरआईएलसी) इत्यादि बैंकर्स के बीच सूचनाओं को साझा करने के लिए स्थापित किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। एक केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री भी स्थापित करने की योजना है।

22. इस संबंध में एक अन्य पहल इरादतन चूककर्ताओं की सूची है। धोखेबाजों को इस सूची में शामिल किया गया है। इससे बैंक न केवल धोखेबाजों के प्रति सचेत होंगे, बल्कि उनके खिलाफ कतिपय निवारक कार्रवाई भी कर सकते हैं।

धोखाधड़ियों से निपटने के लिए नया ढांचा

23. हाल ही में, हमने एक आंतरिक कार्यदल गठित किया था, जिसने धोखाधड़ियों की पहचान करने में होने वाली देरी के कारणों का पता लगाया और धोखाधड़ी होने और पहचान करने में लगने वाले समय को कम करने संबंधी उपाय सुझाए और कोई अन्य अड़चन, जो निवारक उपाय करने में बाधा हैं, के बारे में भी जिसने अपने सुझाव दिए। काफी परामर्श करने के बाद दल ने धोखाधड़ियों से निपटने के लिए एक ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की है। अध्ययन से पता चलता है कि किसी धोखाधड़ी की पहचान करने में काफी देरी होती है, बड़े मूल्य की कई धोखाधड़ियों की पहचान करने में पांच साल से अधिक का समय लगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रारंभिक देरी में, यदि कन्सोर्सियम अथवा बहु बैंकिंग सुविधा से जुड़ा मामला था, तो वित्त देने वाले बैंकों के बीच इस बात को लेकर अलग-अलग मत होते हैं कि कोई खाता धोखाधड़ी वाला है, इसके चलते भी धोखाधड़ी की पहचान करने में भी देरी होती है। धोखाधड़ी की पहचान करने में हुई देरी से कानून प्रवर्तन एजेन्सी में शिकायत दर्ज कराने में देरी होती है और उसके बाद कार्रवाइयों में देरी होती है। इस प्रकार की देरी से धोखेबाज बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाता रहता है और अन्य बैंकों को फांसता रहता है और अन्य भोलेभाले लोगों को अपना शिकार बनाता रहता है। जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, वैसे-वैसे मनी ट्रेल ठंडा होता जाता है और ऋण वसूली की संभावना कम होती जाती है। इस स्थिति में विनियामक, बैंकर्स और अन्य हितधारकों से अपेक्षा है कि वे इस पर और अधिक ध्यान दें।

24. धोखाधड़ियों, विशेष रूप से ऋण धोखाधड़ियों को रोकने का श्रेष्ठ तरीका मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करना है। एक बेहतर मूल्यांकन ऐसे अवांछनीय या दोषपूर्ण प्रस्तावों को हटा सकता है जो धोखाधड़ी में परिवर्तित हो सकते हैं। एक श्रेष्ठ मूल्यांकन से अभिप्राय मात्र वित्तीय विवरणों और संभावी उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्शन का विश्लेषण करना भर नहीं है, बल्कि इस दिशा में इससे भी आगे बढ़ना है और स्वतंत्र रूप से संभावी उधारकर्ता से संबंधित जानकारी जुटाना है। इसके लिए मूल्यांकनकर्ता को सार्वजनिक आंकड़ों, छापा जैसे कोई प्रतिकूल सरकारी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट इत्यादि का संदर्भ भी लेना चाहिए। एक श्रेष्ठ

मूल्यांकन में उद्योग में होने वाली समस्याओं को भी ध्यान में लेना चाहिए, विशेष रूप से प्रमोटर के समूह वाली समस्या जिनसे यह पता चल सके कि कंपनी का परिचालन किस दिशा में जाएगा और क्या प्रमोटरों में अंतर्निहित लचीलापन है और वे किसी समस्या से निपटने में कितने सक्षम हैं और बिना किसी नुकसान के समस्या से बाहर निकल सकते हैं।

25. गहन मूल्यांकन कुटिल उधारकर्ताओं को निकालने का प्रमुख कारक है, उसके बाद निगरानी, संभावित धोखाधड़ियों की पहचान करने में अहम भूमिका अदा करती है। अनेक मामलों में, हम पाते हैं कि इस बात की जानकारी, कि स्टॉक गुप्त रूप से बेच दिया गया है, पक्षों से संबंधित डायवर्जन और निधि निकाल ली गई है और उपलब्ध कराए गए दस्तावेज जाली हैं, तब करते हैं जब खाता दबावग्रस्त होता है और एनपीए हो जाता है। उस स्थिति में की गई कार्रवाई ऐसी ही होगी जैसे कि घोड़े के भागने के बाद अस्तबल के दरवाजे बंद करना।

26. यह स्पष्ट है कि यदि संमानित धोखाधड़ियों की पहचान उनके होने से पहले करना है तो यह तभी संभव है जब उसकी निगरानी निरंतर की जा रही हो। इसलिए, हमने किसी ऋण खाते के जीवन चक्र में स्थितिवार कार्रवाइयां निर्धारित की हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक स्थिति में बैंक क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें भी निर्धारित किया गया है। पूर्व चेतावनी संकेत पर आधारित खतरे के संकेत की पहचान करने की प्रणाली लागू की गई है। वो खाता खतरे वाला होता है जहां धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का संदेह एक अथवा एक से अधिक पूर्व चेतावनी संकेतों के जरिए होता है। उन संकेतों की उपस्थिति होने पर ही खतरे वाले खातों (आरएफए) की गहन जांच की जानी चाहिए।

27. धोखे से निपटने में विलंब होना धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की बड़ी समस्याओं में से एक है इसलिए हमने समय सीमाएं निर्धारित की हैं जिसके अंदर कतिपय कार्रवाई जैसे धोखे की जांच पूरी की जानी चाहिए और कोई खाता वाकई में धोखाधड़ी वाला है अथवा नहीं इस संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, विलंब एवं बैंकों द्वारा कन्सोर्सियम अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के जरिए किए गए निश्चित निर्णयों से भी निपटा गया है, जिसके लिए अन्य बैंकों को जोखिमयुक्त खातों के बारे में सूचित करना, न्यायालयिक

लेखापरीक्षा लागू करना और सर्वसम्मति/ बहुमत निर्णय पर पहुंचना आदि जैसे कार्यों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई। यदि धोखाधड़ियों को कम करना है तो केवल बैंक आश्रित कार्यों को सख्त करना पर्याप्त नहीं है। धोखाधड़ी निवारण में धोखेबाजों के विरुद्ध किए गए निवारक कार्यों और दंडों का बड़ा हिस्सा है। इस दिशा में आगे से धोखेबाज उधारकर्ता देय राशि की पूर्ण चुकौती पश्चात पांच वर्षों के लिए बैंक वित्त प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये निस्संदेह पुलिस या सीबीआई में दायर किए जाने वाले आपराधिक शिकायतों के अतिरिक्त है। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे कोई भी उधारकर्ता बैंक के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा।

28. जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, धोखा होना मतलब सभी हितधारकों द्वारा कोई भी पहलू छोड़े बगैर एकाग्रता से कार्य किया जाना है। इनमें से एक पहलू है विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई आपराधिक जांच और धोखे वारदात के तुरंत बाद धोखाधड़ी करने वालों की हिरासत में लेना है। इसे आगे बढ़ाने और जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और समन्वित कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

धोखा निवारण

29. मैंने ऋण संबंधी धोखाधड़ियों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है क्योंकि बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों में उसका सर्वाधिक हिस्सा था। तथापि, किसी पूर्व चेतावनी संकेतों पर आधारित सतत निगरानी और यथासमय कार्रवाई के पहलू जमाराशि धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी आदि जैसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

30. मुझे यकीन है कि केवाईसी मानदंडों का अनुपालन और तत्काल अंतरण निगरानी, अंतरण विश्लेषण, केंद्रीकृत डेटाबेस आदि सख्तियां बैंकों के काम आएंगी।

धोखा जोखिम और अभिशासन

31. जब हम जोखिमों के परिदृश्य के गतिशील स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो बैंक में हमें कतिपय प्रणालियों और स्थायी मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंक में धोखा-रोधी पहलों की एक मजबूत प्रणाली के बगैर तेजी से बदलते धोखा जोखिमों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को आवश्यक लचीले एवं समुचित उपायों

की अपेक्षा बिना सोचे-समझे की गई कार्रवाई मानी जाएगी। इसके लिए बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन एवं धोखा-रोधी पहलों के बोर्ड स्तरीय स्वामित्व पर ध्यान देने की जरूरत है।

32. बैंक के बोर्ड को बैंक द्वारा सामना किए जा रहे धोखा संबंधी जोखिमों को समझने में अति सक्रियता बरतनी चाहिए और साथ ही एक मजबूत धोखा-रोधी ढांचा स्थापित करना चाहिए। उन्हें संस्था की शक्तियों और कमजोरियों की अच्छी समझ होनी चाहिए और वे संस्था को सही दिशा में ले जाने के योग्य होने चाहिए। इसके लिए उन्हें अत्यधिक सूचना होने के बावजूद अपने व्यावहारिक ज्ञान को बनाए रखना चाहिए। एक सुप्रसिद्ध कहावत है, व्यक्ति के जवाब से उसकी चतुरता का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके सवाल से उसके ज्ञान का पता लगाया जा सकता है (नगिब महफौज़)। एक और कहावत है, ज्ञानी व्यक्ति सही जवाब नहीं देता, लेकिन वह सही सवाल पूछता है (क्लैड लिवी-स्ट्रॉस)।

33. बोर्ड द्वारा सही सवाल पूछे जाने चाहिए। उन्हें, पता लगाए गए हर एक खतरे के आंतरिक नियंत्रण की मजबूती का आकलन करना चाहिए और डेटा का समग्र रूप से विश्लेषण करने की स्थिति में होना चाहिए।

34. बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने के संबंध में हमारे द्वारा हाल में की गई पहल का लक्ष्य भी यही है कि अध्यक्ष को इतने बड़े संगठन के दैनिक परिचालन से होने वाली परेशानी से मुक्त किया जा सके ताकि उसे विज्ञान हेतु जिस गहराई की जरूरत है वह प्राप्त हो सके।

35. धोखाधड़ी और अंदरूनी कपट के पता लगने पर बैंक को नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करना चाहिए और अनुकरणीय (आदर्श) कार्य करने चाहिए। एक दूसरा रास्ता जिसके जरिए कर्मचारियों को सशक्त किया जा सकता है, वह है मुखबिर (सचेतक) नीति स्थापित करना और इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए एक मानक और निष्पक्ष प्रक्रिया का होना। बैंक द्वारा किसी धोखे का मजबूती से और लगातार सामना किए जाने और कर्मचारी द्वारा संभावित धोखे के संबंध में अपनी चिंताओं और अंतर्दृष्टि को बिना भय के शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से एक मजबूत संदेश जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी को बैंक की धोखा-रोधी पहल अपने हाथ में होने का यकीन होगा। इसे सुरक्षित रखने का दायित्व केवल बैंक के बोर्ड, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या धोखा निगरानी विभाग का नहीं होगा।

निष्कर्ष

36. अंत में मेरा कहना है कि धोखा निवारण और सुधारात्मक उपाय और सिद्धांत केवल बैंक के बोर्ड तक सीमित नहीं हैं। चूंकि एसोचम के सदस्य आसानी से सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं इसलिए सभी उद्यमों में उसकी जरूरत है। कारोबार के नैतिक मूल्य कारोबारों के लिए एक प्रकाशस्तम्भ के रूप में कार्य करते हैं, भले ही आर्थिक मंदी की मार पड़े और दबावों को लाभप्रद बनाने के

उद्देश्य से, नैतिक मूल्य, उद्यमों को धोखा त्रिकोण - दबाव, अवसर (प्रणाली की कमियों) और औचित्य के खतरनाक प्रलोभन से बचने की सलाह देता है।

37. मुझे वित्त धोखा संबंधी अपना दृष्टिकोण आपस में बांटने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं एसोचम का आभार प्रकट करता हूँ और सम्मेलन की सफलता हेतु शुभकामना देता हूँ।

38. मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।